# मध्यप्रदेश विधान सभा

## जुलाई, 2019 सत्र
## दैनिक कार्य सूची
## सोमवार, दिनांक 8 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 17, 1941)
## समय 11.00 बजे दिन.

### 1. निधन का उल्लेख.

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

(1) श्री मनोहर पर्रिकर, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
(2) कुमारी विमला वर्मा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(3) श्री शिवनारायण मीणा, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(4) श्री सुन्दरलाल तिवारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(5) श्रीमती गंगाबाई उरैती, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(6) श्री विजय कुमार पाटनी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(7) श्री सतीश कुमार चौहान, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(8) श्रीमती मीरा धुर्वे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
(9) श्री बलराम सिंह ठाकुर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा तथा
(10) नक्सली एवं आतंकी हमले में शहीद प्रदेश के जवान.

### 2. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना.

श्री पी.सी. शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे -

(क) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 1 सन् 2019),
(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2019),
(ग) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 3 सन् 2019),
(घ) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) तथा
(ङ) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019).

### 4. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) श्री कमल नाथ, मुख्यमंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) एम.पी. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017,
(ख) म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) के अन्तिम लेखे वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018,
(ग) इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (ग्वालियर) म.प्र.मर्यादित का दिनांक 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा,
(घ) म.प्र.औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड का 33 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2014-2015 एवं 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2015-2016 तथा
(ङ) मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 एवं 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ.प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम-48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2017-2018 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रियव्रत सिंह, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) बाणसागर थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड का 7 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

(ख) शहपुरा थर्मल पॉवर कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर का 12 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018 तथा

(ग) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसिमशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का सोलहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-2018,

पटल पर रखेंगे.

**5. फरवरी, 2019 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

**6. नियम 267 - क के अधीन फरवरी, 2019 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.**

**7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.**

**8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.**

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य, प्रदेश के विकलांग बच्चों को कृत्रिम अंग निश्चित अवधि में प्रदान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री विनय सक्सेना, सदस्य, जबलपुर शहर के मदनमहल पहाडियों से विस्थापित परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न कराई जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

**9. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र.**

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 193-झाबुआ (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री गुमान सिंह डामोर के द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

**10. सभापति तालिका की घोषणा**

**11. शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) डॉ.विजयलक्ष्मी साधौ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 9 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

(2) श्री सचिन सुभाष यादव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 10 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(3) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 11 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 12 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 13 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) श्री पी.सी. शर्मा, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 14 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

.

**ए. पी. सिंह**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**

**भोपाल :**
**दिनांक : 7 जुलाई, 2019**